समक्ष : माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र /2015 निगरानी

अनेक सिंह पुत्र श्री पंचम सिह व्यवसाय खेती
निवासी ग्राम कृष्णगंज परगना पोहरी जिला शिवपुरी।

.........आवेदक

विरूद्ध

धनीराम पुत्र भागचंद ओढ निवासी ग्राम किशनपुरा परगना पोहरी जिला शिवपुरी म0प्र0

.........अनावेदक

निगरानी अतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय नायव तहसीलदार बैराड जिला शिवपुरी के प्रकरण क्र 1374/14–15बी 121 मे पारित आदेश दिनांक 03.09.2015 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत ।

श्रीमान जी,

आवेदक की ओर से अपील आवेदन पत्र निम्नानुसार है। :–

निगरानी कें संक्षेप मे तथ्यः–

प्रकरण के सूक्ष्य में तथ्य इस प्रकार से हैं कि ,

1. यहकि, प्रकरण के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम किशनपुरा तहसील पोहरी जिला शिवपुरी मे स्थिति कृषि भूमि सर्वे नम्बर 6/3 एवं 9/3 पुराने नम्बर जिनके नये नम्बर 15,18,279,280,288,293,304, है जिनका रकवा कमशः 0.34,0.06,0.22,0.27,0.68,0.13,0.10,0.27, हे भूमि स्वामी व आधिपत्य धारी आवेदक रहे है जिनका खसरा खतोनी मे नाम भी अंकित है वर्तमान मे भी नाम व काविज है। विद्धवान नायव तहसील महोदय वैराड के प्रकरण क्र 19/86–87 /अ-6 अ मे पारित आदेश दिनांक 31.10.1990 के द्वारा आवेदक अनेक सिह का संहिता की धारा 169/190 के अंतर्गत भूमि स्वामी स्वत्व के रूप मे नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये जिससे आवेदक का नाम दर्ज होकर काविज हुये । इस तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध काफी लम्बे समय वाद अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी पोहरी के समक्ष अपील क्र 22/2011–12 अ0मा0 प्रस्तुत की गई जो अपील गुण दोषो पर आदेश 30.12014 से खारिज की गई एवं तहसील न्यायालय का आदेश यथावत माना गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक धनीराम द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर सभाग ग्वालियर के समक्ष अपील क्र 142/14–15 प्रस्तुत की गई जो अपील रिकार्ड व अधिनस्थ न्यायालय के आदेश के विपरीत जाकर आदेश दिनांक 18.8.2015 से अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध आवेदक अनेक

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–3235–तीन/2015 जिला–शिवपुरी

<u>अनेक सिंह विरूद्ध धनीराम</u>

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
17–06–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार बैराड, जिला–शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 1374/2014–15/बी–121 में पारित आदेश दिनांक 03–09–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर शिवपुरी, जिला–शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 07–08–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 17/6/19 (आर0के0 जैन) सदस्य	